



528

- 1 -

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2018 निगरानी

नी 4302/2018/विदिशा/भू.स.

मोहनबाबू पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी  
ग्राम बेरखेड तहसील सिरोंज

..... आवेदक

श्री. विनायक शर्मा  
द्वारा प्राप्त दि. 10-7-2018  
दिनांक 17-7-18

बनाम

वंशीलाल पुत्र श्री कल्लू उर्फ कालूराम  
जाति अहिस्वार धंधा खेती निवासी ,म  
बेरखेडी हाल निवासी ग्राम घोघरा  
तहसील नटेरन जिला विदिशा

..... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959  
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा द्वारा  
प्रकरण क्रमांक 26/ अपील/ 2017-18 में पारित आदेश दिनांक  
27.6.2018 के विरुद्ध निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष  
प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय ,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत

है :-

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार सिरोंज के समक्ष आवेदन म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 ,110 के तहत दावा पेश कर ग्राम बेरखेडी स्थिति कृषि भूमि सर्वे नं. 391/1 रकबा 1.314 का भूमि स्वामी कल्लू पुत्र हीरा था कल्लू के फोट होने पर वसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जाने के लिए निम्न निम्न

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4302/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.12.18 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	